मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

डी0ओ0क्रमांक 245 /471/1(3)/73 भोपाल, दिनांक 20 मार्च, 1973

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म0प्र0 ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश ।

विषय:- अनुसूचित जाति तथा जनजाति के उम्मीदवारों को राज्य शासन द्वारा शासकीय सेवा में भरती तथा पदोन्नति के मामलों में दी गई सुविधाएं ।

=*=

आरक्षण :-

सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प दिनांक 19-8-58 के अनुसार नीचे लिखे अनुसार आरक्षण शासकीय सेवा में दिया गया है

प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी पदों में

अनुसूचित जाति	15 प्रतिशत
अनुसूचित जनजाति	18 प्रतिशत

तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी पदों में

अनुसूचित जाति	16 प्रतिशत
अनुसूचित जनजाति	20 प्रतिशत

यह आरक्षण तदर्थ रूप से होने वाली भरती पर भी लागू है ।

दिनांक 6-2-73 के आदेश द्वारा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए संरक्षित पदों का विज्ञापन भी अलग से निकाला जाना चाहिए ।

13-9-71 के आदेश द्वारा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को शासकीय सेवा में प्रवेश के लिए 30 वर्ष की आयु तक छूट दी गई है, जबकि सामान्य उम्मीदवारों के लिए यह आयु मर्यादा 28 वर्ष है ।

दिनांक 19-8-58 के सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश द्वारा इन उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क, पंजीयन शुल्क तथा भरती के लिए ली जाने वाली परीक्षा के शुल्क से छूट दी गई है ।

दिनांक 22 जून, 63 के आदेश द्वारा शासकीय सेवा में भरती के लिए, लिए जाने वाले साक्षात्कार में शामिल होने के लिए इन उम्मीदवारों को यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता भी दिया जाता है ।

=2=

दिनांक 10 नवम्बर, 1964 के आदेश व्दारा साक्षात्कार में इन उम्मीदवारों को चयन के लिए निर्धारित न्यूनतम स्तर से 10 प्रतिशत की छूट सामान्य उम्मीदवारों की तुलना में दी गई है ।

दिनांक 6 फरवरी, 73 के आदेश व्दारा इन उम्मीदवारों का साक्षात्कार अलग से लेने का निर्णय लिया गया है जिस दिन कोई सामान्य उम्मीदवार को साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया जाएगा ।

शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक 1681/20/1/72, दिनांक 17-2-73 व्दारा लिखित परीक्षा के लिए निर्धारित 30 अंकों में से जहां 15 अंक पाने वाले उम्मीदवार को पात्रता दी गई वहां अनुसूचित जाति व जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए इस संख्या में भी 3 अंक की छूट दी जाकर 12 अंक निर्धारित किए गए । इसके अलावा सामान्य पदाभिलाषियों के लिए जहां 100 अंकों में से 30 अंक प्राप्त करना अनिवार्य रखा गया है, वहां इन जाति के उम्मीदवारों के लिए ये 30 अंक प्राप्त करना अनिवार्य नहीं है । बल्कि जिन्होंने 12 या उससे अधिक अंक प्राप्त किए है उनके व्दारा 100 अंकों में से प्राप्त अंकों के क्रम में चुना हुआ माना जाएगा बशर्ते यह संख्या इनके लिए उपलब्ध पदों की संख्या की सीमा में है ।

आरक्षण के मुताबिक नियुक्तियां करने के लिए 19 जुलाई, 71 के आदेश व्दारा रोस्टर प्रणाली को भी अपनाया गया है ।

निर्धारित आरक्षण से प्रत्यक्ष भरती का अनुपात में होने की वजह से, 19 जुलाई, 71 के आदेश व्दारा यह भी कहा गया है कि छटनी के वक्त/ अतिशेष कर्मचारी घोषित करते समय, इन उम्मीदवारों को तब तक सरप्लस घोषित न किया जाए जब तक कि विभाग में निर्धारित प्रतिशत के अनुसार इन जातियों के उम्मीदवार कार्यरत न हों ।

आदिम जाति तथा हरिजन कल्याण विभाग व्दारा इन उम्मीदवारों को भरती पूर्व प्रशिक्षण स्टाइपेन्ड के साथ देने के आदेश दिनांक 19/5/69 को जारी किए गए है ।

आरक्षण के प्रतिशत को पूरा करने के लिए 6 फरवरी, 73 को यह भी आदेश दिया गया है कि इन जातियों के उम्मीदवारों को पद के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रखने पर भी नियुक्ति दी जाए, चाहे चयन के समय सामान्य उम्मीदवारों की तुलना में चयन का जो स्तर कायम है उस तक यह उम्मीदवार न पहुंच सके । उसके बाद उनके प्रशिक्षण की भी व्यवस्था किए जाने के निर्देश दिए गए हैं ।

केवल साक्षात्कार या आवेदन - पत्रों के मूल्यांकन पर सीधी भरती करते समय पहले अवसर पर इन जातियों के उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हों तो रिक्त पदों को सामान्य पदों से भरने की बजाय पदों को पुनः तुरन्त विज्ञापित किया जाना चाहिए यदि अन्य दूसरी विज्ञप्तियों के बाद भी इन जातियों के उम्मीदवार न मिल सकें तो इन पदों को सामान्य उम्मीदवारों से भरा जाए ।

10 अगस्त, 1960 को नियुक्ति अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया है कि तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के संरक्षित रिक्त स्थानों की सूचना उनके कार्य क्षेत्र की मान्यता प्राप्त ऐसी संस्थाओं को भी दी जाए जो अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के विकास का काम करती हों ।

दिनांक 4-8-64 को नियुक्त अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया है कि तृतीय तथा चतुर्थ वर्ग के पदों पर भरती करते समय रोजगार कार्यालय को मांग पत्र भेजने के साथ - साथ, विज्ञापन की एक प्रति स्थानीय विधायकों को भी भेजी जाए जिससे अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार विज्ञापन का पूरा-पूरा लाभ उठा सकें ।

पदोन्नति के लिए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए कोई आरक्षण नहीं रखा गया है परन्तु 6 फरवरी, 73 में यह निर्देश दिया गया है कि गोपनीय चरित्रावली के आधार पर किए जानेवाले वर्गीकरण में इन उम्मीदवारों को एक ग्रेड ऊंचा रैंकिंग (Ranking) दिया जाए ।

शासन व्दारा समय- समय पर दी गई सुविधायें प्रबन्ध में इन जातियों के उम्मीदवारों को उपलब्ध होती है या नहीं होती है, यह देखने के लिए हर विभाग में एक-एक सम्पर्क अधिकारी मनोनीत करने के आदेश भी 23 मई, 68 को सब विभागों को दिए गए हैं ।

28 सितम्बर, 68 के आदेश व्दारा ऐसे नियुक्त अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाई की जा सकती है, जो संरक्षित स्थानों में यथोचित योग्यता वाले अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को उपलब्ध होने पर, भी भरती नहीं करते हैं ।

इन सुविधाओं के कार्यान्वयन के बारे में मुख्य मंत्री जी के अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का भी गठन किया गया है जो समय-समय पर इस मामले का परीक्षण करेगी ।

(मु0 वि0 गर्दे)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

=4=